INFLIBNET Centre

Memorandum of Understanding (MoU) for Shodhganga/Shodhgangotri

(A Repository of Theses and Dissertations submitted to the Universities/Other Higher Educational Institutions in India)

This	Memorandum	of	Understanding	(MoU)	is	made	and	entered	into	or
	_(Day)(Mor	nth)	(Year) bet	ween the	INF	LIBNET (Centre,	an IUC of	Unive	rsity
Gran	ts Commission lo	cated	at Gandhinagar, h	ereinafte	r refe	rred to a	s "INFL	JBNET" a	nd	
				(Universit	y / [Deemed	Unive	rsity/Inter-L	Jnivers	ity
Centr	e/Institution of Na	ationa	I Importance/ Other	ers), here	in af	ter referr	ed to as	s the		
Unive	ersity/Institution.									

WHEREAS, INFLIBNET Centre, an Inter-university Centre of the University Grants Commission, as its mandate, promotes open access to scholarly content generated in Universities/Institutions. The Centre has computers, network, software infrastructure and technical know-how required for hosting electronic versions of theses and dissertations in open access with interface to search, retrieve and access these content.

WHEREAS____has

agreed to take part in the process of digitisation of old theses and dissertations (not available in computerized machine-readable format) and building-up of digital repository and to promote, share and host its ETD in 'Shodhganga: A reservoir of Indian theses submitted to the Universities/Institutions in India' and other Universities/Institutions in open access. 'Shodhganga' is a name coined by the INFLIBNET Centre for referring to the repository of Indian Electronic Theses and Dissertations. The word "Shodh" originates from Sanskrit and stands for research and discovery. The 'Ganga' is the holiest, longest and largest river in Indian subcontinent which has held heart of its people captive and drawn millions of people to its banks since the dawn of history. The Ganga is the symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, ever loved and revered by its people. "Shodhganga", a repository of theses and dissertations submitted to Indian Universities/Institutions, is expected to keep growing to a formidable size as more and more researchers from India submit their research works to this ever-growing reservoir. Under the initiative called "ShodhGangotri", research scholars / research supervisors in Universities/Institutions are requested to deposit electronic version of approved synopsis submitted by research scholars to the Universities/Institutions for registering themselves for the Ph.D. programme.

This Memorandum of Understanding (MoU) defines responsibilities, liabilities and commitments of the institutions involved to ensure proper system implementation, to meet the objectives pertaining to submission and access to Electronic Theses and Dissertations as envisaged by the UGC vide its Notification (Minimum Standards & Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degree), Regulation, 2009 dated 1st June 2009/amendment made on 5th May 2016.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements herein contained, INFLIBNET and the Universities/Institutions agree to the following terms and conditions:

I. INFLIBNET Centre

1. Provide access to ETD hosting server(s) at the INFLIBNET Centre 'Shodhganga'/'Shodhgangotri' to the Universities/Institutions with accompanied software interface enabling Universities/Institutions its student to create metadata and upload their

theses and dissertations in ETD repositories designed for this purpose. The INFLIBNET will take the responsibility of keeping the data intact and usable, keep back-up of the data so as to avoid its loss. The INFLIBNET will deploy tools and techniques of digital preservation to ensure continuing access to scholarly content in digital formats and to protect them from media failure, physical loss and obsolescence.

- 2** Recommend to the UGC to extend financial assistance to the Universities/Institutions under Sections 12(B) and 2(f) of UGC Act for digitization of theses and dissertations not available in computerized machine-readable format and / or for procurement and installation of a suitable computer system / infrastructure for creation of ETDs.
- 3. Provide configuration of system, specifications and technical guidance to the Universities/Institutions for procurement of computer hardware and related systems for setting-up of ETDs.
- 4. Provide guidelines, technical standards and specifications for digitization of Ph.D. theses submitted to the Universities/Institutions in past and for theses not available in computerized machine-readable format.
- 5. Impart training to at least one person from the Universities/Institutions (from library field and / or from computer field) in creation, updation and computerized operation of digital repositories of ETDs especially on 'Shodhganga'.
- 6. Extend access to an anti-plagiarism software or provide services to evaluate theses for possible plagiarism and submit a report to the concerned Universities/Institutions.
- 7. The INFLIBNET may refuse to host any material deemed by the INFLIBNET to be controversial in nature or is in violation of the copyright act.
- 8. This right of refusal will not relieve the Universities/Institutions Ph.D. scholar of liability, both to INFLIBNET and to the public, for matter contained in the theses that may be libellous or actionable and to both INFLIBNET and copyright owners for copyright infringement by the Ph.D. Scholar.
- 9. The INFLIBNET Centre will not be responsible for i) errors, omissions, inaccuracies and quality of content or misinformation or for any damages caused to the user or any third party from the use of content provided in the theses; ii) safety and archiving of loaded content in cases of "force majeure" including natural calamities; and iii) printed version of theses.
- 10. INFLIBNET Centre recommend to use plagiarism detection software which Universities/Institutions may use to detect plagiarism before awarding the PhD degree.
- 11. The INFLIBNET Centre replicates the content of theses and dissertations on different server and other auxiliary storage media. However, the INFLIBNET Centre does not take the responsibility for the archiving or backing-up of loaded content. The Universities/Institutions, therefore, should also keep a back-up of their theses and dissertations.
- 12. INFLIBNET Centre also maintains a repository called "Shodhgangotri" for hosting the approved synopses of research topic submitted to the Universities/Institutions by the students for registering themselves under the doctoral programme. Research students/their supervisors are encouraged to submit approved synopses/research proposals and register their priority on a research proposal through the repository.

II. The Universities/Institutions

- 1. The Universities/Institutions would grant non-exclusive worldwide license to the INFLIBNET Centre for hosting and distributing their theses in digital format in 'Shodhganga'/ 'Shodhgangotri' or any other server designated for this purpose.
- 2. The Universities/Institutions its researcher scholars agree to host/upload a computerized machine-readable file in mutually agreed format of all theses on to the 'Shodhganga'/'Shodhgangotri' server at the INFLIBNET.
- 3. The Universities/Institutions will not hold INFLIBNET Centre responsible for any errors and omissions contained in the original theses.
- 4. The Universities/Institutions commit to digitize theses and dissertations and their bibliographic records submitted to the Universities/Institutions and provide necessary infrastructure including manpower support for operation of ETDs.
- 5.** Commits to utilize the assistance provided by the UGC on recommendation of the INFLIBNET for implementation of ETDs including their digitization.
- 6. Deputes at least one person from the Universities/Institutions (from library field or from computer field) for undergoing training on implementation of ETD organized by the INFLIBNET and ensure that the person trained by INFLIBNET on ETD is / are deployed for the same job.
- 7. Arranges to provide training to research scholars or users of its library and staff of colleges affiliated to Universities/Institutions in creation of electronic version of theses and their deposition in the ETDs.
- 8. Ensures use of standard software and metadata schema suggested / provided by the INFLIBNET for setting-up / development / operation of its ETDs.
- 9. Creates bibliographic records of all theses and dissertations submitted to the Universities/Institutions in standard bibliographic formats prescribed by the INFLIBNET Centre from time-to-time and voluntarily contributes these records for inclusion in the INFLIBNET's Union Catalogue (IndCat).
- 10. Commits to sharing of library ETD resources / databases, if permitted, with the INFLIBNET Centre as well as with other Universities/Institutions.
- 11. The Universities/Institutions would agree to host their ETDs in the digital repositories 'Shodhganga or other servers' set-up at the INFLIBNET Centre, and grant nonexclusive licence to the Centre to make electronic version of theses in full-text (theses that are born digital as well as those that are digitized using scanners / digital cameras) accessible through open access ETD.
- 12.** The Universities/Institutions shall not use electronic version of theses digitized using funds given by the UGC for any commercial purposes. The Universities/Institutions shall not rent, sell or license the use of or deliver or release or otherwise part with the possession of the systems / software or the INFLIBNET ETDs databases, Shodhganga or any part thereof to any other party (individual, institution, organization, etc.)

- 13. The Universities/Institutions will also commit their own funds or grants for fulfillment of the project, if the project on implementation of ETDs demands more resources and funds to complete it.
- 14. The Universities/Institutions will use the plagiarism software recommended by the INFLIBNET and made accessible to test the thesis submitted by the student for plagiarism before awarding the Degree. If the Universities/Institutions is not subscribing to such software, it will use the software from the nearest Regional Centre, if any.
- 15. Universities/Institutions would encourage and ensure that Research Scholars/ Research Supervisors deposit host their approved Research Proposals/ approved synopses on the "Shodhgangotri" once Ph.D. is registered.

III. Termination

Both, the Parties, will have rights to terminate the MoU at any time in case of breach of obligations and terms and conditions of the MoU. This MoU signed hereunder may be terminated by either party at any time upon ninety (90) days prior written notice. Upon termination of this Agreement, the INFLIBNET / Universities/Institutions will stop hosting their theses immediately while keeping the theses already deposited by the Universities/Institutions in its archives for its users. The Universities/Institutions shall stop using the INFLIBNET's ETDfacilities and databases and return any software / hardware or digitized content provided by or through the INFLIBNET, back to INFLIBNET within the 3 months' notice period.

IN WITNESS WHEREOFF, the parties hereto executed this MoU on this date above mentioned.

Institution: INFLIBNET:

Director/Registrar or designated authority.

Prof J P Singh Joorel, Director INFLIBNET Centre, An IUC of University Grants Commission, Infocity, Gandhinagar - 382 007.

^{**} Not applicable for the Institution of National Importance (INIs)/ Inter University Centres (IUCs) / Others

इनफ्लिबनेट केंद्र

शोधगंगा / शोधगंगोत्री हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू)

(भारत में स्थित विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने वाले शोध निबंध और प्रबंध का संग्रह)

यह सहमति ज्ञापन (एमओयू) इनफ्लिबनेट केंद्र (गाँधीनगर स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र) जिसे इसमें इसके बाद इनिफ्लबनेट(विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय/अंतर विश्वविद्यालय केंद्र/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/अन्य) जिसे इसमें इसके बाद विश्वविद्यालय/संस्थान के में संदर्भकित किया रूप मध्य.....(दिन)....महीना....(वर्ष) को सहमति–निर्मित और निष्पादित किया गया। जबिक, इनफ्लिबनेट केंद्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है,जैसा कि अधिदेशित है, यह विश्वविद्यालयों/संस्थानों में सृजित विद्वत्तापूर्ण सामग्री की खुली पहुँच को बढ़ावा देता है। केंद्र के पास शोध निबंधों और शोध प्रबंधों की खोज, पुनर्प्राप्ति और उपयोग की अबाध पहुंच सुनिश्चित करने वाले अंतरापृष्ठ के साथ इन शोध निबंधों और शोध प्रबंधों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को होस्ट करने के लिए आवश्यक कम्प्यूटर(संगणक), सॉफ्टवेयर संरचना और तकनीकी जानकारी है।

संस्थानों में प्रस्तुत शोधपक्षों के एक संग्रह के रूप में "शोधगंगा का स्थान अत्यंत विस्तृत व महत्वपूर्ण है। भारत के अधिक से अधिक शोधकर्ता इस संग्रह में अपना महत्वपूर्ण शोध कार्य जमा करते हैं। विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के अनुसंधानविद /अनुसंधान पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि वे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित सिनोप्सिस का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि उन्होंने पी.एच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकृत किया है शोधगंगोत्री में जमा करें।

यह सहमित ज्ञापन, (एमओयू) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना (एमिफल/पीएचडी) डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2009 दिनांक 1 जून, 2009 / 5 मई, 2016 को किया गया संशोधन, में निहित शर्तों के अधीन, संस्थान के उत्तरदायित्यों, देयताओं तथा वचनबद्धताओं को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत उचित व्यवस्था के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, इसमें शामिल संस्थानों की प्रतिबद्धता तथा इलेक्ट्रॉनिक शोध एवं शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने और उपयोग करने से संबंधित उद्देश्य को पूरा करना शामिल है।

इस परिप्रेक्ष्य में अब इनफ्लिबनेट और विश्वविद्यालयों/ संस्थानों निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आपस में यह सहमती करते हैं।

। इनफ्लिबनेट केंद्र

- इनिफ्लबनेट केंद्र विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को सॉफ्टवेयर अंतरापृष्ठ सक्रिय करने तथा विद्यार्थियों द्वारा मेटाडेटा सृजित करने व शोध निबंध व शोध प्रबंध अपलोड करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु शोधगंगा / शोधगंगोत्री में ई.टी.डी. होस्टिंग सर्वर की सुगमता प्रदान करेगा। इनिफ्लबनेट डेटा को अक्षुण्ण और उपयोगी बनाए रखने की जिम्मेदारी लेगा तथा इसके नुकसान से बचने के लिए डेटा का बैकअप रखेगा। इनिफ्लबनेट डिजिटल संरक्षण संबंधी उपकरण व तकनीक का संस्थापन करेगा ताकि डिजिटल फॉर्मेट में विद्वत्तापूर्ण सामग्री की अनवरत सुगमता में सुनिश्चित हो सके तथा माध्यम की विफलता के साथ-साथ, भौतिक हानि व अप्रचलन से भी इनकी संरक्षा करेगा।
- 2** यूजीसी अधिनियम की धारा 12(B) और 2(f) के तहत् विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए यूजीसी को सिफारिश करेगा ताकि कम्प्यूटरीकृत मशीन पर पठनीय प्रारूप में अनुपलब्ध शोध प्रबंध और शोध निबंध का डिजीटलीकरण किया जा सके और / या ई.टी.डी. के निर्माण के लिए उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली / आधारभूत संरचना की अधिप्राप्ति और संस्थापन किया जा सके।

- इं.टी.डी. की स्थापना हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर और सम्बंधित प्रणालियों की खरीद के लिए सिस्टम विनिर्देशों और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।
- 4 पूर्व में विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को प्रस्तुत पीएचडी शोध तथा साथ ही साथ कम्प्यूटरीकृत मशीन पठनीय फॉर्मेट में जो शोध उपलब्ध न हो उनके डिजिटलीकरण के लिए दिशा-निर्देश, तकनीकी मानदंड और विनिर्देश तय करना ।
- 5 मुख्यत: शोधगंगा पर ई.टी.डी. के डिजिटल संग्रह के सृजन, अद्यतनव कम्प्यूटरीकृत प्रचालन के संबंध में विश्वविद्यालयों/ संस्थानों (पुस्तकालय के क्षेत्र तथा / अथवा कम्प्यूटर के क्षेत्र) से सम्बंधित कम से कम एक व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- 6 संभाव्य साहित्यिक चोरी हेतु शोध का मूल्यांकन करने के लिए एक साहित्यिक चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान करना ।
- 7 विवादास्पद स्वरूप की किसी भी सामग्री को होस्ट करने अथवा प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन से सम्बंधित किसी भी सामग्री को इनिफ्लबनेट होस्ट करने से इनकार कर सकता है।
- इनिफ्लबनेट की अस्वीकृति के इस अधिकार के बावजूद विश्वविद्यालयों/ संस्थानों शोध अध्येता इनिफ्लबनेट और जनता दोनों के प्रित उनके शोध-प्रबंध की सामग्री के मानहानिकारक होने या वाद-योग्य होने या फिर शोध-अधेय्ता द्वारा इनिफ्लबनेट और प्रतिलिप्याधिकार स्वामी दोनों के प्रित प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन दायित्वों से मुक्त नहीं होते।
- 9 इनल्फिबनेट केंद्र उत्तरदायी नहीं होगा। (i) त्रुटियों, चूक, गलितयाँ और सामग्री की गुणवत्ता या गलत जानकारी से उपयोगकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को होनेवाले किसी भी नुकसान के लिए (ii) प्राकृतिक आपदाओं सिहत किसी अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में अपलोड की गई सामग्री की सुरक्षा और पुन:लेखन के लिए; और (iii) शोध प्रबंध के मुद्रित संस्करण के लिए।
- 10 विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा डिग्री प्रदान करने से पूर्व साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए उपयोग करने हेतु इनफ्लिबनेट केंद्र साहित्यिक चोरी के सॉफ्टवेयर की सिफारिश करेगा या उपलब्ध कराएगा ।
- 11 इनफ्लिबनेट केंद्र शोध निबंधों और शोध प्रबंधों की सामग्री की प्रतिकृति विभिन्न सर्वर और अन्य सहायक संग्रहण मीडिया पर रखता है। हालांकि, इनफ्लिबनेट केंद्र, लोडेड

सामग्री के पुन:लेखन या पूर्तिकर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है । इसलिए, विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को भी अपने शोध निबंधों व शोध प्रबंधो की पूर्तिकर व्यवस्था रखनी चाहिए।

12 डॉक्टोरल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीकरण हेतु उनके द्वारा विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को प्रस्तुत शोध प्रसंग की अनुमोदित सार संक्षेप को होस्ट करने हेतु इनफ्लिबनेट केंद्र एक संग्रह का भी अनुरक्षण करता है, जिसे 'शोधगंगोत्री' कहते हैं। शोध छात्रों / उनके पर्यवेक्षकों को अनुमोदित सार संक्षेप (सिनॉप्सिस) / शोध प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तथा संग्रह के माध्यम से उनके शोध प्रस्ताव की प्राथमिकता को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

॥. विश्वविद्यालय/ संस्थान

- 1 विश्वविद्यालय/ संस्थान, इस कार्य हेतु शोधगंगा / शोधगंगोत्री अथवा किसी अन्य सर्वर में शोध को डिजिटल फॉर्मेट में होस्ट करने व वितरित करने हेतु इनफ्लिबनेट को विश्वव्यापी अनेकांकित अनुज्ञापित प्रदान करेगा ।
- विश्वविद्यालय/ संस्थान, उनके शोधकर्ता विद्वानों के सभी शोध निबंधों को पारस्परिक सहमति आधारित मशीन-पठनीय फाइल में शोधगंगा / शोधगंगोत्री सर्वर पर अपलोड करने की सहमति देंगे ।
- 3 विश्वविद्यालय/ संस्थान, मूल शोध में निहित चूक व त्रुटि के लिए इनफ्लिबनेट केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
- 4 विश्वविद्यालय/ संस्थान, प्रस्तुत शोध निबंधों व शोध प्रबंधों तथा ग्रंथसूची रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत करने के लिए वचनबद्ध होगा तथा साथ ही यह ई.टी.डी. के संचालन के लिए जनशक्ति सहित बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा।
- 5** विश्वविद्यालय/ संस्थान, डिजिटलीकरण सिहत ई.टी.डी. के कार्यान्वयन हेतु इनफ्लिबनेट की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सहायता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इनिफ्लबनेट द्वारा आयोजित ई.टी.डी. के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण लेने के लिए विश्वविद्यालय/ संस्थान (पुस्तकालय क्षेत्र या कम्प्यूटर क्षेत्र से) के कम से कम एक व्यक्ति

- को प्रतिनियुक्त करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इनफ्लिबनेट द्वारा ई.टी.डी. हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति उसी कार्य हेतु अभिनियोजित है।
- यह शोध निबंधों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के सृजन व ई.टी.डी. में उनके अभिसाक्ष्य के संबंध में विश्वविद्यालय/ संस्थान से सम्बंधित कॉलेजों के कर्मियों व अनुसंधानकर्ताओं अथवा पुस्तकालय के प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ।
- 8 अपने ई.टी.डी. में संस्थापन / विकास / प्रचालन हेतु इनफ्लिबनेट द्वारा सुझाए गए मानक सॉफ्टवेयर और मेटाडेटा स्कीमों का उपयोग सुनिश्चित करेगा ।
- 9 विश्वविद्यालय/ संस्थान समय-समय पर सभी शोध निबंधों और शोध प्रबंधों के ग्रंथ सूची संबंधी अभिलेख बनायेगा और इन अभिलेखों को इनफ्लिबनेट यूनियन कैटलॉग (Indcat) में शामिल करने के लिए योगदान देगा।
- 10 विश्वविद्यालय/ संस्थान ई.टी.डी. संसाधन / डेटाबेस को इनफ्लिबनेट केंद्र व अन्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के साथ सांझा करने के लिए वचनबद्ध होगा ।
- 11 विश्वविद्यालय/ संस्थान अपने ई.टी.डी. को इनफ्लिबनेट सेन्टर में स्थापित 'शोधगंगा या अन्य सर्वर' पर डिजिटल संग्रह में होस्ट करने के लिए सहमत होगा और केंद्र को संपूर्ण शोध निबंध का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने (वे शोधपत्र जो डिजिटल हों और साथ ही वे जो स्कैनर्स या डिजिटल कैमरों का उपयोग करके डिजिटल किये हैं) के लिए अबाधित पहुँच ई.टी.डी. के माध्यम से अनेकांकित अनुज्ञापित प्रदान करेगा।
- 12** विश्वविद्यालय/ संस्थान यूजीसी द्वारा दी गयी धनराशि के उपयोग से तैयार किए गए शोधप्रबंधों के डिजिटल संस्करण का प्रयोग किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। विश्वविद्यालय किसी भी अन्य पक्ष (व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि) को इनिफ्लबनेट के सिस्टम / सॉफ्टवेयर या ई.टी.डी. डेटाबेस, शोधगंगा या इसके किसी भी हिस्से को किराये पर, विक्रय या इसके प्रयोग हेतु अनुज्ञापित या वितरित या जारी या इसके किसी हिस्से पर किसी और के साथ अधिकार सांझा नहीं करेगा।
- 13 यदि ई.टी.डी. के कार्यान्वयन संबंधी परियोजना को पूरा करने के लिए और अधिक संशाधनों अथवा निधि की आवश्यकता होगी, तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय/ संस्थान इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की निधि अथवा अनुदान का उपयोग करने हेतु वचनबद्ध होगा।

- 14 विश्वविद्यालय/ संस्थान, इनिफ्लबनेट द्वारा अनुशंसित साहित्यिक चोरी पता करने के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा और शोध उपाधि प्रदान किए जाने से पूर्व साहित्यिक चोरी के लिए छात्र द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध का परीक्षण करने के लिए इसे उपलब्ध करायेगा । अगर विश्वविद्यालय/ संस्थान इस सॉफ्टवेयर की सदस्यता नहीं ले रहा है तो वह किसी भी अन्य नजदीकी क्षेत्रीय केंद्र पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा ।
- 15 विश्वविद्यालय/ संस्थान शोध अध्येताओं / शोध पर्यवेक्षकों को एक बार पीएचडी पंजीकृत हो जाने के उपरांत शोधगंगोत्री पर अपने अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों / अनुमोदित शोध सार संक्षेपों को होस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।

समापन

संस्थान

इस सहमित ज्ञापन के दायित्वों व शर्तों के उल्लंघन के मामले में किसी भी समय दोनों पक्षों द्वारा इस सहमित ज्ञापन को रद्द करने का अधिकार होगा एवं हस्ताक्षरित सहमित ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा किसी भी समय 90 दिन की लिखित सूचना पर रद्द किया जा सकता है। इस सहमित की समाप्ति के उपरांत इनिप्लबनेट / विश्वविद्यालय/ संस्थान तत्काल प्रभाव से अपने शोध प्रबंधों को होस्ट करना रोक देंगे हालांकि पहले से ही जमा किए गए शोध-प्रबंधों को विश्वविद्यालय/ संस्थान अपने अभिलेखागार में अपने उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए सुरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय/ संस्थान को इनिप्लबनेट द्वारा प्रदान की जा रही ई.टी.डी. सुविधा और डेटाबेसों का उपयोग बंद करना होगा। नोटिस अविध के तीन महीनों के अंदर इनिप्लबनेट के किसी भी सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर या उसके माध्यम से डिजिटलीकृत की गई सामग्री को इनिप्लबनेट को पुन: वापस करना होगा।

जिसके साक्षी रूप में, पक्षों ने उल्लेखित दिनांक को इस सहमति ज्ञापन को निष्पादित किया

दनफ्लिबनेट

VIV 41 I	Q IIIVI IO
निदेशक / कुलसचिव	प्रो जे पी सिंह जूरैल
या नामित प्राधिकारी	निदेशक
_	इनफ्लिबनेट केंद्र
(नाम, हस्ताक्षर और मुहर)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
	के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र
	इन्फोसिटी गांधीनगर – 382 007

^{**} राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)/ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसी) /अन्य के लिए लागू नहीं है।